

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

BU 900677

श्री गणेशाय नमः
किरायेदारी अनुबंध लेख
क्रिश्च लिला श्री राधेश्याम डोरिया,
निवासी-हाउस न 215 सोनकच्छ,खजुरिया कन्का,देवास (म.प्र)

NOTED AND RECISIONED ON DR. 13 JUL 2024

ALSE NO. 7869/2029

.....प्रथमपक्ष / किरायेदार

श्री मुलचंद चौहान पिता श्री जगन्नाथ चौहान, विवासी—251, निरंजनपूर, विजय नगर इन्दौर (म.प्र)

मी-7610712047ाधार न 3564 8412 0433

....द्वितीयपक्ष / मकानमालिक

में किरायेदार, आप मकान मालिक के हक्क व हित में यह किरायेदारी का इक्रुशरमामा निम्नानु।सार लिख देता हूं कि:—

विज्यह कि द्वितीयपक्ष के स्वामित्व एवं आधिपत्य का मकान क्रमांक 251, निरंजनपूर, किवान के स्वामित्व एवं आधिपत्य का मकान क्रमांक 251, निरंजनपूर, किवान के तिल मंजिल पर एक रूम, किवान के तिल मंजिल पर एक रूप, किवान के तिल मंजिल पर एक रूम, किवान के तिल मंजिल पर एक रूम, किवान के तिल मंजिल पर एक रूप, किवान के तिल के ति

अवरित....2 पर

AMIT KAUL NOTARY GOVERNMENT OF INDIA INDORF (M P) 11 1 JUL 2024

भी स्वास्त्र वितास्त्राम् इतिया पर्मा नित्र न्याम (१०११)

Melli

स्थान के मण्या के निर्मा के मण्या के मण्या के मण्या के मण्या के मण्या के मण्या के स्थान के स

ाष्ट्रमपंत्र / वित्रायेदार

3141L

श्री मूलचंद बाँहान पिता श्री जनवाथ चाँहान, ।नवास-251, निरंत्रनपूर दिनाव नगर इन्दोर (म.प्र)

नामी है एक छात्री प्राप्तानानानी

outile San Shrift...

में किरावेदार, अ.च. गढ़गा नित्रक के हक्क व हिल में यह कित एक में का

ंगर्रोक द्वितीयण्या के स्थापिता एवं आधितत्व का नकान क्रमां के 251, निरंधानपूर ानपर्केट्टिया (गाप्र) यहाँ पर रियत है। सदर नमान की तल मौजल पर एक रूस सिंह्टियाथ आदि यना हुआ है जिस प्रथमन्द्रा ने पुनैस्यस्थ से दिना के 01-06-2022

ATTESTED

ख किल्ले अर ताना स्वीकार विच्या है।

अवस्ति ... २ प

COVERNMENT CHILD

- 2) यह कि चरण एक में वर्णित सम्पत्ति को आगे सुविधा की दृष्टि से "उक्त स्थान" नाम से सम्बोधित किया गया है ।
- 3) यह कि, उक्त स्थान प्रथमपक्ष ने द्वितीयपक्ष से अपने आवास हेतु रूपये 3,000-00 अक्षरी तीन हजार रूपये मात्र प्रतिमाह के मान से किराये पर लिया हैं। जिसके डिपाजिट 3,000-00 अक्षरी तीन हजार रूपये मात्र प्रथमपक्ष ने द्वितीयपक्ष को नगद अदा कर दिया है। एंव चालू माह का किराया रूपये 3,000-00 अक्षरी तीन हजार रूपये मात्र प्रथमपक्ष ने द्वितीयपक्ष को नगद अदा कर दिया है।
- 4) यह कि, उक्त किरायेदारी के स्थान की समय अवधि आज दिनांक से 11 माह के लिए रहेगी एवं 11 माह के पश्चात यह अनुबन्ध लेख स्वमेव निरस्त माना जावेगा पश्चात प्रथमपक्ष तुरन्त उक्त स्थान को रिक्त करेगें, किन्तु यदि उपरोक्त किरायेदारी अवधि उभयपक्ष आपसी सहमित से बढ़ाते हैं तो किरायेदारी की राशि में 5 प्रतिशत की वृध्दि की जाकर अनुबन्ध लेख नवीन शर्तों के साथ तैयार किया जावेगा।
- 5) यह कि, मेन्टेनेन्स व्यय एवं बिजली का व्यय एवं पानी का व्यय प्रथमपक्ष के द्वारा वहन किया जावेंगा जो कि उक्त स्थान की किरायेदारी में समिलित नहीं हैं। बिजली का मीटर लगा हुआ हैं। आज दिनांक को मीटर की रिडिंग यूनिट है, इससे आगे का बिल प्रथमपक्ष के द्वारा वहन किया जावेगा।
- 6) यह कि, द्वितीयपक्ष ने प्रथमपक्ष को सुविधा के लिए पंखे, सी.एफ.एल, आदि सामान चालू कंडीशन में दिया हैं जिसे प्रथमपक्ष उक्त स्थान प्रथमपक्ष रिक्त करते समय उक्त सामान चालू कंडीशन वापस सुपुर्द करेगें।
- 7) यह कि, प्रथमपक्ष के द्वारा उक्त स्थान को 6 माह के पूर्व रिक्त नहीं किया जा सकेगा यदि फिर भी प्रथमपक्ष उक्त स्थान को 6 माह के पूर्व रिक्त करतें है तो द्वितीयपक्ष आप प्रथमपक्ष से दिन का अतिरिक्त किराया पाने के अधिकारी होगे।
- 8) यह कि, द्वितीयपक्ष उक्त स्थान खाली करावेगे तो प्रथमपक्ष को एक माह पूर्व सूचना देनी होगी। और यदि प्रथमपक्ष उक्त स्थान खाली करेगे तो द्वितीयपक्ष को एक माह पूर्व इसी प्रकार सूचना देगे। अन्यूथा द्वितीयपक्ष प्रथमपक्ष से उक्त स्थान छोडने की तारीख से एक माह की भाडे



ATTENSTED

AMIT KAUL.

NOTARY

OVERNMENT OF INDUINDORF (M P)

THE THEORY INDICES OF THE STATE OF THE PROPERTY OF THE POST OF THE

CONTROL OF THE STATE OF THE STA

्या विश्व के प्राथमित के कि त्या भी ति स्थाप के स्थाप के स्थाप के ति स्थाप के स्थाप

्रे प्रश्नी की प्रश्नी की प्राप्तिक को प्रविद्या की किए ... पुरस्के असूर की असला स्थल का जा का स्थल समुत्ती समुद्री हुआ असूर सामा सारक स्थल सामा स्थल हैं के स्थल सामा समुद्री के स्थल सामा सामा सामा स्थल सामा स्थल सामा स्थल स्थल स

ान के हैं। इस कि मान का का का का को में कि कि मान को एक माह तुर्व तुर्व के लिए कि एक माह पूर्व कि मान प्रकार को एक माह पूर्व कि कि कि मान के एक माह पूर्व कि माह पुर्व कि माह प्रकार के एक माह को का के लिए कि माह के का कि कि माह के का कि माह के का माह के का मान के कि माह के का माह के माह के का माह के का माह के माह माह के माह

- 9) यह कि, द्वितीयपक्ष के द्वारा सूचना देने पर यदि प्रथमपक्ष के द्वारा उक्त स्थान खाली नहीं किया जाता है तो द्वितीयपक्ष को अधिकार होगा की न्यायालीन कार्यवाही कर उक्त स्थान खाली करवा सकेगें। जिसमें लगने वाले व्यय की जवाबदारी प्रथमपक्ष की रहेगी। यह कि, प्रथमपक्ष किरायेदारी वाले स्थान एवं कॉमन उपयोग के स्थान को छोडकर अन्य किसी भाग का उपयोग या अतिक्रमण नहीं कर सकेगा।
- 10) यह कि, प्रथमपक्ष के द्वारा आवश्यकता अनुसार किरायेदारी के स्थान में रंग रोगन करवाते रहेगें तथा प्रथमपक्ष मकान का रिक्त पजेशन द्वितियपक्ष को देते वक्त रंग रोगन करवा के देवेगें। अर्थात उक्त स्थान जिस हालत प्रदान किया गया है वही हालत में प्रथमपक्ष आप द्वितीयपक्ष को वापिस करेगें।
- 11) यह कि, प्रथमपक्ष ने उक्त स्थान आवास हेतु किराये पर लिया है इसके अतिरिक्त प्रथमपक्ष अन्य कार्य उक्त स्थान पर द्वितीयपक्ष की लिखित सहमती के पूर्व नहीं करेगें तथा ना ही उक्त स्थान में किसी भी व्यक्ति का सम्मिलित करेगें। प्रथमपक्ष के आवास के दोरान किसी भी प्रकार की लड़ाई, झगडे अथवा पुलिस रिपोर्ट, न्यायालयीन कार्यवाही आदि की समस्त जवाबदारी प्रथमपक्ष स्वयं की रहेगी जिसमें द्वितीयपक्ष की किसी प्रकार की कोई जवाबदारी नहीं रहेगी।
- 12) यह कि, उक्त स्थान का किराया मैं आपको हर माह नियमित रूप से 01 से 05 तारीख के मध्य अदा करूंगा।
- 13) यह कि, उक्त स्थान की किरायेदारी समाप्ति के समय मैं आपको उक्त स्थान खाली कर उसका रिक्त कब्जा जिस अवस्था में आपसे प्राप्त किया हैं उसी अवस्था में आपको सोपकर आपसे डिपाजिट राशि प्राप्त करूंगा, किन्तु यदि भवन में अथवा किसी भी सामान में किसी भी प्रकार की क्षती होती है तो क्षतिपूर्ति की राशि आप द्वितीयपक्ष मेरी डिपाजिट राशि में से समायोजित करने के पूर्ण अधिकारी रहेगें।

्रिये यह कि प्रथमपक्ष उक्त स्थान पर किसी पोट भड़ेती को नही रखेगें तथा ना ही अन्य व्यक्ति को उक्त स्थान में सम्मिलत करेगें। ATTESTED

अवरित....4 पर

AMIT KAUL NOTARY GOVERNMENT OF INDIA INDORF (MP)

HEROLOGY IN THE RESIDENCE OF A CONTROL OF A

अपने के अपने क कि अपने के अपने अपने के अपने

> र्ट करा है। सामान का किया में आपाने केर्र राज्य द्वार का कार

्र का है। इस स्थान को विकासीयाओं शक्कीय के काम है। इसी अपने में आपको संस्थाकर निर्माण है। इसी अपने को मांचकर ने स्थाकर में प्राप्त के कार्य के कार्य के मांचकर ने स्थाकर के स्थान के आपको संस्थाकर के स्थान के सिम्पल के स्थान के किसी भी प्राप्ताचा के सिम्पल के के किसी किसी जिसावास है। इसी किसी के सिम्पल के के किसी किसी किसी के सिम्पल के

n ng 似 m nan prìom tha rai thèir shit thaid sa shia ma man na ai shi na na ai thi, maith a a sa an an ai shite

AL ITALIAN

STEM ATT THE HAMP A PROPER

- 15) यह कि किरायेदार, किरायेदारी वाले रथान को निरंतर शुद्ध,स्वच्छ,व सुन्दर रखेगे। प्रथमपक्ष के द्वारा किरायेदारी वाले रथान में किसी भी प्रकार की तोड फोड या अतिरिक्त लगावट द्वितीयपक्ष की सहमति के वगैर नहीं लगाई जावेगी। यदि कोई खर्च किया गया तो प्रथमपक्ष द्वितीयपक्ष से मुजरा (धनराशि) नहीं पा सकेगें।
- 16) यह कि, उक्त स्थान के किरायेदार सम्बन्धित जानकारी सम्बन्धित थाने में द्वितीयपक्ष मकानमालिक के द्वारा दी जावेगी जिसमें प्रथमपक्ष के द्वारा पूर्ण रूप से सही जानकारी दी जावेगी अन्यथा समस्त जवाबदारी प्रथमपक्ष की ही रहेगी जिसमें द्वितीयपक्ष की किसी प्रकार की कोई जवाबदारी नही रहेगी तथा प्रथमपक्ष दो फोटो, आई. डी. प्रुफ आदि उपलब्ध करावेगें।

यह किरायेदारी अनुबंध लेख प्रथमपक्ष (किरायेदार) ने आदि से अन्त तक पढ़कर, सुनकर, समझकर अपने शरीर एवं मन—मस्तिष्क की सम्पूर्ण स्वस्थ अवस्था में, बिना किसी दबाव के दो साक्षीगणों के समक्ष अपने हस्ताक्षर कर निष्पादित कर दिया सो सही सनद् रहे व वक्त जरूरत काम आवे। इति, इंदौर

दिनांक : 01/07/2024

साक्षीगण :--

गवाह :-

1. हस्ताक्षर जिल्द चीलान

नाम जिलेन्द्र चौहान पिता स्त्रिज्ञाराम चौहान

पता न 90 क्रिंद्रणनपुर बन्लिर

हस्ताक्षर प्रथमपक्ष (किरायेदार)

Oavit

2. हस्ताक्षर <u>क्षेत्राम् चौहान</u> नाम <u>क्षेत्रादित्राम्</u> चौहान पिता मुलन्यन्द्र पीहान पता मुलन्यन्द्र पीहान पता मुलन्यन्द्र पीहान

हस्ताक्षर द्वितीयपक्ष (मकान मालिक)



ATTESTED

AMIN KAUL NOTARY GOVERNMENT OF INDIA INDORF (MP)